

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

पत्र सं०-कार्य०का०सू०-01/2021-.....06...../वि०स०।

प्रेषक,

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण, झारखण्ड सरकार, राँची।

राँची, दिनांक-08/02/21 ई०।

विषय :- पंचम झारखण्ड विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम।
महोदय/महोदया,

इस सचिवालय के पत्रांक-कार्य०का०सू०-01/2021-.....05...../वि०स०, राँची, दिनांक-08/02/21 के क्रम में निदेशानुसार में, पंचम झारखण्ड विधान-सभा का पंचम (बजट) सत्र के औपबंधिक कार्यक्रम की एक प्रति संलग्न कर रहा हूँ, जिसमें यह दर्शाया गया है कि उक्त सत्र के दौरान दिनांक-26 फरवरी, 2021 से 23 मार्च, 2021 तक की अवधि में होनेवाली बैठकों में भिन्न-भिन्न कोटि के कार्यों के निष्पादन के लिए कौन-कौन सी तिथियाँ नियत की गई हैं।

02- दिनांक-26 फरवरी, 2021 को शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो), भारत का संविधान के अनुच्छेद-176(1)के अधीन 11:30 बजे पूर्वा० झारखण्ड विधान-सभा वेश्म में झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यों के समक्ष माननीया राज्यपाल महोदया का अभिभाषण, विधान सभा के सत्र में नहीं रहने की अवधि में माननीया राज्यपाल महोदया द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणिकृत प्रतियों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो), तत्पश्चात् शोक प्रकाश (यदि हो) लिये जायेंगे।

03- दिनांक:-27 फरवरी, 2021, 28 फरवरी, 06 मार्च, 07 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च, 20 मार्च एवं 21 मार्च, 2021 को सभा की बैठक नहीं होगी।

04- दिनांक-01 मार्च, 2021 को माननीया राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एवं वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा।

वित्तीय कार्य

05- वित्तीय वर्ष 2020-21 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन एवं व्यवस्थापन-दिनांक-01 मार्च, 2021 को वित्तीय वर्ष 2020-21 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन, दिनांक-02 मार्च, 2021 को वित्तीय वर्ष 2020-21 के द्वितीय अनुपूरक पर सामान्य वाद-विवाद तथा, सरकार का उत्तर, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, व्यवस्थापन एवं पारण होगा।

(2)

अतएव झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-173 एवं 268(1) के अन्तर्गत उक्त व्यय विवरणी में सम्मिलित किसी माँग पर कटौती प्रस्ताव की सूचना नियम-168 के शिथिलीकरण के साथ दिनांक-01 मार्च, 2021 को 04:00 बजे अप० तक सचिव के कार्यालय कक्ष में देने हेतु समय नियत किया गया है।

06- वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक का उपस्थापन एवं व्यवस्थापन दिनांक-03 मार्च, 2021 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक का उपस्थापन होगा तथा दिनांक-04 मार्च, 2021 एवं 05 मार्च, 2021 को उक्त आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर होगा।

07- अनुदान की माँगों पर वाद-विवाद ,सरकार का उत्तर एवं मतदान- दिनांक-08 मार्च, 2021, 09 मार्च, 2021, 10 मार्च, 2021, 15 मार्च, 2021, 16 मार्च, 2021, 17 मार्च, 2021, 18 मार्च, 2021 एवं 19 मार्च, 2021 को अनुदान की माँगों पर वाद-विवाद सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, व्यवस्थापन एवं पारण होगा।

विधायी कार्य

08- दिनांक-22 मार्च, 2021 एवं 23 मार्च, 2021 को राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो) होंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर-सरकारी संकल्प)

09- संलग्न कार्यक्रम को देखने से यह विदित है कि दिनांक-23 मार्च, 2021 को गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर-सरकारी संकल्प)के लिए नियत किया गया है। झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-126 के अनुसार गैर-सरकारी संकल्पों की सूचना देने की अंतिम तिथि नियत दिन से 15 (पन्द्रह) दिन पूर्व निर्धारित है। इसके तहत गैर-सरकारी संकल्पों की सूचना दिनांक-08 मार्च, 2021 को 04:00 बजे अप० तक सचिव के कार्यालय कक्ष में दी जा सकती है।

में इस संबंध में आपका ध्यान झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-126 के द्वितीय परन्तुक की ओर भी आकृष्ट करता हूँ, जिसके अनुसार कोई सदस्य गैर-सरकारी संकल्प के लिए एक से अधिक सूचना नहीं दे सकते हैं।

10- श्लाका- गैर-सरकारी संकल्पों की पूर्ववर्तिता निर्धारित करने के लिए सचिव के कार्यालय कक्ष में श्लाका किया जायेगा, जिसके लिए दिनांक-12 मार्च, 2021 (4:00 बजे अप०) की तिथि निर्धारित की गयी है।

कृ०पृ०३०/-

(3)

11- (क) प्रश्नों की सूचनायें देने के लिए चकानुवर्तित कम की सारणी अलग से परिचारित की जा रही है।

(ख) अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्नों की प्राथमिकता श्लाका द्वारा निर्धारित की जायेगी।

12- सत्र में भिन्न-भिन्न कोटि के कार्यों के लिए उपर्युक्त नियत तिथि ऐसे परिवर्तनों के अधीन है, जो समय-समय पर सदन में अभिज्ञापित किये जायेंगे अथवा दैनिक कार्य-सूची में दिखलाए जायेंगे।

13- यदि कार्यवश तिथि-23 मार्च, 2021 के पश्चात् भी सत्र चलाना आवश्यक प्रतीत हुआ तो भिन्न-भिन्न कार्यों के निपटारे के लिए भिन्न-भिन्न तिथियाँ नियत करते हुए एक अनुपूरक कार्यक्रम बाद में निर्गत किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि इस सचिवालय के द्वारा समय-समय पर प्रेषित कार्य-सूची सहित अन्य ऐसे कागजात जो आपके उपयोग एवं सत्रावधि में निदेश के लिए आवश्यक हो, उसे अपने साथ अवश्य लाने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन,

(महेन्द्र प्रसाद)

सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची

31/02/21
08.02.21

PRAVEEN
08-02-2021

भारत के संविधान के अधीन गठित पंचम् झारखण्ड विधान सभा के
पंचम् (बजट) सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम

दिनांक 26 फरवरी, 2021 (शुक्रवार)	<ol style="list-style-type: none"> 1. झारखण्ड विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान (यदि हो) 2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अधीन 11.30 बजे पूर्वाह्न, झारखण्ड विधान सभा वेष्टम में झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यों के समक्ष माननीया राज्यपाल का अभिभाषण। 3. विधान सभा के सत्र में नहीं रहने की अवधि में माननीया राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों का सभा पटल पर रखा जाना (यदि हो) 4. शोक प्रकाश (यदि हो)
दिनांक 27 फरवरी, 2021 (शनिवार)	बैठक नहीं होगी।
दिनांक 28 फरवरी, 2021 (रविवार)	
दिनांक 01 मार्च, 2021 (सोमवार)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2020-21 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन। 3. माननीया राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उपस्थापन, वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।
दिनांक 02 मार्च, 2021 (मंगलवार)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2020-21 के द्वितीय अनुपूरक पर सामान्य वाद-विवाद, मतदान, तत्संबंधी विनियोग विधेयक का उपस्थापन एवं पारण।
दिनांक 03 मार्च, 2021 (बुधवार)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक का उपस्थापन।
दिनांक 04 मार्च, 2021 (गुरुवार)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद।
दिनांक 05 मार्च, 2021 (शुक्रवार)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद।
दिनांक 06 मार्च, 2021 (शनिवार)	बैठक नहीं होगी।
दिनांक 07 मार्च, 2021 (रविवार)	
दिनांक 08 मार्च, 2021 (सोमवार)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान मार्ग पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।
दिनांक 09 मार्च, 2021 (मंगलवार)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान मार्ग पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।

दिनांक 10 मार्च, 2021 (बुधवार)	1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।
दिनांक 11 मार्च, 2021 (गुरुवार)	बैठक नहीं होगी।
दिनांक 12 मार्च, 2021 (शुक्रवार)	
दिनांक 13 मार्च, 2021 (शनिवार)	
दिनांक 14 मार्च, 2021 (रविवार)	
दिनांक 15 मार्च, 2021 (सोमवार)	1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।
दिनांक 16 मार्च, 2021 (मंगलवार)	1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।
दिनांक 17 मार्च, 2021 (बुधवार)	1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।
दिनांक 18 मार्च, 2021 (गुरुवार)	1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।
दिनांक 19 मार्च, 2021 (शुक्रवार)	1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान। 3. वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के वित्तियोग विधेयक का उपस्थापन एवं पारण।
दिनांक 20 मार्च, 2021 (शनिवार)	बैठक नहीं होगी।
दिनांक 21 मार्च, 2021 (रविवार)	
दिनांक 22 मार्च, 2021 (सोमवार)	1. प्रश्नकाल 2. राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हों)
दिनांक 23 मार्च, 2021 (मंगलवार)	1. प्रश्नकाल 2. राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हों) 3. गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी सकल्प)।